संख्या-296/2018/252/22-2-2018-17(446)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल पुत्र श्री कबूल निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4856/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.05.2017) दिनांक 07.02.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल पुत्र श्री कबूल, जो-कडली, थाना-खतौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। डा0 राजवीर सिंह का अपने भाई राजपाल सिंह से कृषि भूमि को लेकर मा0 न्यायालय में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को प्रात: लगभग 07:00 बजे अभियुक्तगण मनोज व सोनू उर्फ अजय, उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता, सुनील अपने-अपने हाथों में तमन्चे लिये हुए तथा अभियुक्त तेजपाल एवं नरेन्द्र अपने हाथों में चाकू लेकर वादिनी के घर में घुस आये और पति डा0 राजवीर व उसके पुत्र मनीष, आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद की गोली मारकर तथा चाकूओं से प्रहार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-885/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 452 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,(कक्ष सं0-2), सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2017 तक 15 वर्ष 08 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने कृषि भूमि को लेकर मा0 न्यायालय में चल रहे मुकदमें की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे, चाकू से डा0 राजवीर, मनीष, आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद सहित कुल 04 लोगों की गोली मारकर तथा चाकूओं से प्रहार कर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, और आगे निरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तेजपाल पुत्र श्री कबूल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि तेजपाल (बन्दी संख्या-9662) पुत्र श्री कबूल निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-296/2018/252(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-296/2018/252/22-2-2018-17(446)/2017

दिनांक 10 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल पुत्र श्री कबूल, जो-कडली, थाना-खतौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। डा0 राजवीर सिंह का अपने भाई राजपाल सिंह से कृषि भूमि को लेकर मा0 न्यायालय में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को प्रात: लगभग 07:00 बजे अभियुक्तगण मनोज व सोनू उर्फ अजय, उमेश उर्फ सलेख उर्फ सत्ता, सुनील अपने-अपने हाथों में तमन्चे लिये हुए तथा अभियुक्त तेजपाल एवं नरेन्द्र अपने हाथों में चाकू लेकर वादिनी के घर में घुस आये और पति डा0 राजवीर व उसके पुत्र मनीष, आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद की गोली मारकर तथा चाकूओं से प्रहार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-885/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 452 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,(कक्ष सं0-2), सहारनपुर के आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2017 तक 15 वर्ष 08 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने कृषि भूमि को लेकर मा0 न्यायालय में चल रहे मुकदमें की रंजिश में दिनांक 03.06.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे, चाकू से डा0 राजवीर, मनीष, आशीष तथा वादिनी के भाई विनोद सहित कुल 04 लोगों की गोली मारकर तथा चाकूओं से प्रहार कर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तेजपाल पुत्र श्री कबूल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in